प्रेस नोट दिनांक 27.11.2025

प्रेस नोट दिनांक 27.11.2025

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ व्यापक अभियान—02 अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में नशा विरोधी अभियान को बड़ी सफलता— थाना लीलापुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत से 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 40 लीटर अवैध शराब बरामद-

प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी लीलापुर श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना लीलापुर क्षेत्रांतर्गत थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर प्रभावी कार्यवाही की गई। उनके कब्जे से कुल 40 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब बरामद की गई।

थाना लीलापुर के उ0नि0 शहंशाह खान मय हमराह का० सुरजीत द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत धुरीपुर लोनी नदी बहद ग्राम हण्डोर से 01 अभियुक्त समीर सरोज पुत्र धीरज सरोज नि० हण्डौर खहलहिया थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 20 वर्ष को 20 ली0 कच्ची अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना लीलापुर पर मु0अ0सं0 320/25 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना लीलापुर के उ0नि0 हरेंद्र सिंह मय हमराह का0 महेश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत धुरीपुर लोनी नदी बहद ग्राम हण्डोर से 01 अभियुक्त साहिल सरोज पुत्र सोनू सरोज नि० ग्राम हण्डौर खहलहिया थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 19 वर्ष को 20 ली0 कच्ची अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना लीलापुर पर मु0अ0सं0 319/25 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. समीर सरोज पुत्र धीरज सरोज नि० हण्डौर खहलहिया थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 20 वर्ष ।

02. साहिल सरोज पुत्र सोनू सरोज नि० ग्राम हण्डौर खहलहिया थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 19 वर्ष ।

बरामदगी-

01. कुल 40 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 शहंशाह खान मय हमराह का० सुरजीत थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

उ0नि0 हरेंद्र सिंह मय हमराह का0 महेश यादव थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 27.11.2025

थाना कुण्डा , जनपद प्रतापगढ़

कुण्डा पुलिस और विशेष टीम / चोरी अनावरण टीम को बड़ी सफलता: टप्पेबाजी के आरोपी मुरादाबाद से पकड़े गए

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 18.11.2025 को सर्राफा व्यवसायी अखिलेश कुमार केसरवानी निवासी मेन चौराहा, कस्बा कुण्डा से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा टप्पेबाजी करते हुए एक प्लास्टिक डिब्बी में रखी सोने की अंगूठियाँ एवं चैन धोखे से ले जाई गई थीं। प्रकरण में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कुण्डा पर मु0अ0सं0 320/2025, धारा 316(2)/318(4) BNS पंजीकृत कर जांच प्रारम्भ की गई। तथा धारा की 317 (2) बी0एन0एस0 बढ़ोत्तरी की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के निकट पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक कुण्डा अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुण्डा पुलिस तथा विशेष टीम द्वारा टप्पेबाजी की घटना का सफल अनावरण करते हुए मुकदमा संबंधित 02 नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस के आधार पर दोनों अभियुक्तों की पहचान कर गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। सर्विलांस से प्राप्त लोकेशन के आधार पर दोनों अभियुक्तों को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

01. मो0 इदरीस पुत्र अब्दुल हकीम, निवासी चक्कर की मिलक, थाना सिविल लाइन, जनपद मुरादाबाद, उम्र लगभग 56 वर्ष

02. मो0 इदरीस पुत्र बन्ने मिस्त्री, निवासी कैलसा रोड, जारतवली मस्जिद के पीछे, थाना पाकबड़ा, जनपद मुरादाबाद, उम्र लगभग 42 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान

चक्कर की मिलक, थाना सिविल लाइन, जनपद मुरादाबाद

बरामदगी

02 अदद मोबाइल फोन व 40 ग्राम पिघला हुआ पीली धातु

गिरफ्तार करने वाली टीम

उ0नि0 चन्द्रबली सिंह, थाना कुण्डा

हे0का0 महेश सिंह

कां0 आनन्द यादव

कां0 सुनील यादव

कां0 वीरेन्द्र यादव

(विशेष टीम / चोरी अनावरण टीम, जनपद प्रतापगढ़)

प्रेस नोट दिनांक 27.11.2025

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

पत्नी की हत्या कर फरार हुए अभियुक्त को पुलिस ने आला-कत्ल सहित किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस व स्वाट टीम द्वारा हत्या के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त संतोष विश्वकर्मा को आला कत्ल 01 अदद चाकू के साथ थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत स्टेशन परिसर के ओवर पास के निकट से गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण

वादी की पुत्री की शादी वर्ष 2005 में संतोष कुमार विश्वकर्मा पुत्र जगन्नाथ विश्वकर्मा निवासी रेलवे स्टेशन रोड, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ से हुई थी। विवाह के पश्चात् संतोष कुमार द्वारा आये दिन मारपीट, प्रताड़ना एवं जान से मारने की धमकी दी जाती थी, जिसकी जानकारी वादी एवं परिजनों को समय-समय पर प्राप्त होती रहती थी।

दिनांक 26.11.2025 को सुबह बच्चों के स्कूल चले जाने के उपरान्त, अभियुक्त संतोष कुमार ने अवसर पाकर घर के भीतर चाकू से गला रेतकर वादी की पुत्री की हत्या कर दी तथा घटना के पश्चात फरार हो गया। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 607/2025, धारा 103(1) BNS बनाम 01 नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट/फॉरेंसिक टीम द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई एवं घटनास्थल को सुरक्षित कर आगे की विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा सतत साक्ष्य संकलन, सर्विलांस सेल की तकनीकी सहायता एवं संभावित ठिकानों पर निरंतर दबिश दी गई। निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की पहचान एवं गिरफ्तारी सफलतापूर्वक सुनिश्चित की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण/ नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 श्री अंकित श्रीवास्तव, का0 सूर्यशेखर, का0 नागेन्द्र खरवार, का0 सुधीर कुमार व स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 श्री अमित चौरसिया मय चालक सुरेशचन्द दूबे द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों

की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 607/2025, धारा 103(1) BNS में वांछित 01 अभियुक्त संतोष विश्वकर्मा पुत्र जगन्नाथ विश्वकर्मा निवासी स्टेशन रोड सहोदर पुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 40 वर्ष को आला कत्ल 01 अदद चाकू के साथ थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत स्टेशन परिसर के ओवर पास के निकट से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह पत्नी के आचरण पर शंका करता था, इसी कारण उसने हत्या की घटना को अंजाम दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

संतोष विश्वकर्मा पुत्र जगन्नाथ विश्वकर्मा निवासी स्टेशन रोड सहोदर पुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 40 वर्ष।

बरामदगी-

आला कत्ल 01 अदद चाकू बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 श्री अंकित श्रीवास्तव, का0 सूर्यशेखर, का0 नागेन्द्र खरवार, का0 सुधीर कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

स्वाट टीम- स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 श्री अमित चौरसिया मय चालक सुरेशचन्द दूबे।

प्रेस नोट दिनांक 27.11.2025

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा कुल 01 किलो 112 ग्राम नाजायज गांजा व गांजा बिक्री का 700 रूपये नगद के साथ 01 अभियुक्त दिलीप पटवा को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त पर जनपद प्रतापगढ़ के थाना नवाबगंज में छेड़खानी, आर्म्स एक्ट, मारपीट, एससी/एसटी एक्ट जैसे गंभीर अभियोग पंजीकृत है-

अभियुक्त को थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम केरावडीह बाग के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी नवाबगंज श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में वरिष्ठ उपनिरीक्षक राजनारायण सिंह मय हमराह उ0नि0 मुकेश सिंह परिहार, का० नवीन यादव, का० रमेश चन्द्र द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम केरावडीह बाग के पास से 01 अभियुक्त, दिलीप पटवा पुत्र जवाहर लाल पटवा उम्र करीब 45 वर्ष निवासी केरावडीह थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ के कब्जे से कुल 01 किलो 112 ग्राम नाजायज गांजा व गांजा बिक्री का 700 रूपये नगद के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के पास से कुल 01 किलो 112 ग्राम नाजायज गांजा व गांजा बिक्री का 700 रूपये नगद बरामदगी के संबंध में थाना पट्टी में मु0अ0सं0 192/2025 धारा 8/20 NDPS थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरे पास कुछ गांजा है जिसे मैं **100** रूपया पैकेट के हिसाब से बेंच देता हूँ तथा खुला गांजा कम पैसों में भी बेंच देता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. दिलीप पटवा पुत्र जवाहर लाल पटवा उम्र करीब **45** वर्ष निवासी केरावडीह थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु**0**अ**0**सं**0 160/18** धारा **354**(घ)**, 323, 504, 506 IPC** व धारा **3(1)(10), 3(2)(5) SC/ST ACT** थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

2. मु**0**अ**0**सं**0 45/19** धारा **3/25** आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

3. मु**0**अ**0**सं**0 84/2002** धारा **323, 326 IPC** थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

4. मु**0**अ**0**सं**0 192/2025** धारा **8/20 NDPS** थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी- कुल **01** किलो **112** ग्राम नाजायज गांजा व गांजा बिक्री का **700** रूपये नगद बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

वरिष्ठ उपनिरीक्षक राजनारायण सिंह मय हमराह उ**0**नि**0** मुकेश सिंह परिहार, का० नवीन यादव, का० रमेश चन्द्र थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

बयान-

जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — **6307363107** पर दें। आपकी पहचान पूर्णत: गोपनीय रखी जाएगी।

प्रेस नोट दिनांक 27.11.2025

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा अपहरण, धमकी के अभियोग से संबंधित 03 अभियुक्त/ अभियुक्ता को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत देउम चौराहा से पहले सुजाखर रोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी निवासी सुजाखर थाना सांगीपुर द्वारा थाना सांगीपुर पर दी गई तहरीर के आधार पर मो0 अल्ताब अली तथा उसके सहयोगियों मो0 अन्सार, अफरोज व हैदर पर वादी की बहन को बहला-फुसलाकर ले जाने तथा विरोध करने पर वादी को गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था। इस संबंध में थाना सांगीपुर में मु0अ0सं0 222/2025 धारा 87/352/351(3) बीएनएस बनाम 04 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना सांगीपुर के उ0नि0 हरिन्द कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 सुमित सिंह व म0उ0नि0 स्वाति

वर्मा,का0 रामनिवास यादव,का0 पंकज कुमार,म0का0 मानसी व म0का0 नेहा बाजपेई द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 222/2025 धारा 87/352/351(3) बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्त/ अभियुक्ता, 1. सहबान अली पुत्र खालिक उम्र करीब 45 वर्ष, 2.फातिमा पत्नी मोनौव्वर अली उम्र करीब 45 वर्ष, 3. साहिन पत्नी समीम उम्र करीब 28 वर्ष निवासीगण ग्राम सुजाखर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत देउम चौराहा से पहले सुजाखर रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त/ अभियुक्ता की गिरफ्तारी के संबंध मे धारा 142 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी

गिरफ्तार अभियुक्त/ अभियुक्ता का विवरण-

1. सहबान अली पुत्र खालिक उम्र करीब 45 वर्ष,

2. फातिमा पत्नी मोनौव्वर अली उम्र करीब 45 वर्ष,

3. साहिन पत्नी समीम उम्र करीब 28 वर्ष निवासीगण ग्राम सुजाखर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 हरिन्द कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 सुमित सिंह व म030नि0 स्वाति वर्मा,का0 रामनिवास यादव, का0 पंकज कुमार, म0का0 मानसी व म0का0 नेहा बाजपेई थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 27.11.2025

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ व्यापक अभियान—02 अभियुक्ता गिरफ्तार

जनपद में नशा विरोधी अभियान को बड़ी सफलता— थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूरे अली नकी के पास से 02 अभियुक्ता गिरफ्तार, साथ ही अभियुक्ताओं के कब्जे से कुल 40 लीटर अवैध शराब बरामद-

प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय तथा क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी मानिकपुर श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना मानिकपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम पूरे अली नकी के पास से थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर प्रभावी कार्रवाई की गई। उनके कब्जे से कुल 40 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब बरामद की गई।

थाना मानिकपुर के उ0नि0 संतोष यादव मय हमराह का अजीत शर्मा, म0का0 रितेश राणा, म0का0 पिंकी यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूरे अली नकी के पास से 01 अभियुक्ता सुनीता पत्नी पन्ना लाल उम्र करीब 48 वर्ष निवासी पूरे अली नकी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को 20 ली0 कच्ची अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना मानिकपुर पर मु0अ0सं0 269/25 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना मानिकपुर के उ0नि0 अचिन्त्य शुक्ल हस्बुल तलब हमराह का० संजीव कुमार,म0का0 वन्दना चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूरे अली नकी के पास से 01 अभियुक्ता राजकुमारी पत्नी चन्दे राम उम्र करीब 48 वर्ष निवासी पूरे अली नकी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को 20 ली0 कच्ची अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना मानिकपुर पर मु0अ0सं0 270/25 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण-

01. सुनीता पत्नी पन्ना लाल उम्र करीब **48** वर्ष निवासी पूरे अली नकी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

02. राजकुमारी पत्नी चन्दे राम उम्र करीब **48** वर्ष निवासी पूरे अली नकी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01. कुल **40** लीटर अवैध कच्ची देशी शराब बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ**0**नि**0** अचिन्त्य शुक्ल हस्बुल तलब हमराह का० संजीव कुमार,म**0**का**0** वन्दना चौहान थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

उ**0**नि**0** संतोष यादव मय हमराह का अजीत शर्मा,म**0**का**0** रितेश राणा, म**0**का**0** पिंकी यादव थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 27.11.2025

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़

थाना कंधई पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग से संबंधित **25000/-** रुपये का ईनामिया **01** अभियुक्त बहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया- अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा- कारतूस बरामद

इनामिया अभियुक्त को थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मीरनपुर नदी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

इनामिया अभियुक्त पर जनपद प्रतापगढ के थाना कंधई में दहेज हत्या, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत है-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी की पुत्री के पति वहावुद्दीन पुत्र जान मो0 ग्राम गुतौली थाना कन्धई प्रतापगढ़ द्वारा वादी की पुत्री से मोटरसाइकिल व दहेज की मांग कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। दिनांक 26.05.2025 को प्रार्थी को सूचना मिली कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गई है। मौके पर पहुँचने पर मृतका के शरीर पर चोटों के निशान मिले। वादी द्वारा आरोप लगाया गया कि पुत्री के पति के परिजनों ने मिलकर मेरी बेटी की हत्या की है। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 119/25 धारा 85/80 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 बनाम 05 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कंधई श्री सत्येन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में थाना कंधई के उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह उ0नि0 अमित सिंह, हे0का0 ऋषिकेश तिवारी, का0 संतोष कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 119/25 धारा 80/85 बीएनएस धारा 3/4 डीपी एक्ट थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ में वांछित 25000/- रुपये का ईनामिया 01 अभियुक्त बहाबुद्दीन पुत्र जान मोहम्मद निवासी ग्राम गुतौली थाना कंधई जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 25 वर्ष को थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मीरनपुर नदी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त बहाबुद्दीन के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया जिसके संबंध में थाना कंधई में मु0अ0सं0 284/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं अपनी पत्नी की मृत्यु कर भाग गया था तथा मेरे पास नाजायज देशी तमंचा व कारतूस है, मैं अपनी सुरक्षा हेतु अपने पास रखता हूं। अपने बच्चों को देखने के लिए अपने

बहन के घर गुतौली जाने के लिये शॉर्ट कट रास्ते से जा रहा था कि आज आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया, गलती हो गई क्षमा करें।

इनामिया अभियुक्त का विवरण-

बहाबुद्दीन पुत्र जान मोहम्मद निवासी ग्राम गुतौली थाना कंधई जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

इनामिया अभियुक्त बहाबुद्दीन पुत्र जान मोहम्मद निवासी ग्राम गुतौली थाना कंधई जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 25 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 119/25 धारा 80/85 बीएनएस धारा 3/4 डीपी एक्ट थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 284/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद।

पुलिस टीम-

उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह उ0नि0 अमित सिंह, हे0का0 ऋषिकेश तिवारी, का0 संतोष कुमार थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।